

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 6558/2024

1. धन्नाराम पुत्र श्री पूना राम, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी 1-एस-40, पुराना हाउसिंग बोर्ड, पाली, राज.
2. प्रवीण पुत्र श्री धन्नाराम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी 1-एस-40, पुराना हाउसिंग बोर्ड, पाली, राज.

-----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से
2. भीमराज पुत्र श्री रामरख, निवासी 8, बादशाह का झाणदा, पाली, राजस्थान

-----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री आईदान चौधरी
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री एच.एस. जोधा, पी.पी. श्री तेजमल रांका, आर/2 (शिकायतकर्ता) के लिए

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

25/09/2024

1. पिता (70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक) और पुत्र ने पुलिस स्टेशन - औद्योगिक क्षेत्र, पाली में आईपीसी की धारा 447 और 379 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 257/2015 दिनांक 27.11.2015 को रद्द करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है। याचिकाकर्ता विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 17.01.2019 के आदेश को भी चुनौती दे रहे हैं, जिसमें दिनांक 24.10.2017 की अंतिम नकारात्मक रिपोर्ट को स्वीकार न करते हुए आगे की जांच का निर्देश दिया गया था।
2. मैंने याचिकाकर्ताओं तथा शिकायतकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान लोक अभियोजक को सुना है और मामले की फाइल के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दी गई अभियोजन रिपोर्ट का भी अध्ययन किया है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मुख्य विवाद 11 बीघा जमीन के टुकड़े को लेकर है, जिसके लिए शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ताओं के बीच बिक्री/खरीद लेनदेन हुआ था। शिकायतकर्ता ने इस जमीन से बार-बार विभिन्न आवासीय योजनाएं (1992 में मधुर नगर, 2007 में मारुति नगर और 2008 में एक और) निकाली हैं, भूमि उपलब्धता के उचित सत्यापन के बिना अवैध रूप से प्लॉट के आकार में बदलाव किया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि आक्षेपित एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि गहन जांच से नकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

3.1. याचिकाकर्ताओं के वकील ने आग्रह किया कि वास्तव में शिकायतकर्ता ही गैरकानूनी कार्यों में लिप्त है। उनका तर्क है कि पुलिस को शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता झूठे आरोपों के आधार पर याचिकाकर्ताओं को परेशान करने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर रहा है। इसलिए वह आक्षेपित एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क देते हैं कि यह गुप्त उद्देश्यों से प्रेरित है।

4. विद्वान लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतियों का विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप वारंट नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि चूंकि ट्रायल कोर्ट पहले से ही मामले पर विचार कर चुका है, इसलिए कानून अपना काम करेगा और दिनांक 17.01.2019 के आक्षेपित आदेश के अनुसार जांच अधिकारी से आगे की रिपोर्ट मिलने के बाद विरोध याचिका पर फैसला करेगा।

5. प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने और केस फाइल का अवलोकन करने के बाद, मेरा मानना है कि याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है। मैं विद्वान लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता के वकील द्वारा लिए गए रुख से खुद को सहमत नहीं कर पा रहा हूं। इसके विपरीत, याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा लिया गया रुख उचित, न्यायसंगत और न्यायिक विवेक के अनुकूल प्रतीत होता है। कारणों की तलाश करना दूर की बात नहीं है। आइए देखें कि कैसे।

6. यहां निजी पक्ष, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 (एफआईआर में शिकायतकर्ता) एक दूसरे के खिलाफ कई क्रॉस मामलों के साथ सिविल और आपराधिक दोनों तरह के झगड़ों में शामिल रहे हैं, यह निम्नलिखित घटनाक्रम (याचिका से लिया गया) से पता चलता है: -

6.1. दिनांक 01.10.1977 के विक्रय विलेख के माध्यम से लक्ष्मीनारायण एवं छोगा लाल ने पाली के चक नं. 1 में खसरा नं. 786/3, क्षेत्रफल 11 बीघा वाली अपनी खातेदारी भूमि, परिवादी/प्रतिवादी नं. 2, भीमराज की पत्नी कौशल्या देवी को बेच दी।

6.2. तत्पश्चात, वर्ष 1992 में परिवादी समूह ने उक्त 11 बीघा भूमि पर मधुर कालोनी नाम से आवासीय योजना बनाई, जिसमें 40 x 60 वर्ग फीट के 54 भूखण्ड थे।

6.3. इन भूखण्डों में से दिनांक 09.04.1992 को भूखण्ड नं. 54 को याचिकाकर्ता नं. 1 की पत्नी एवं याचिकाकर्ता नं. 2 की माता श्रीमती गंगा को पावर ऑफ अटॉर्नी, इकरारनामा एवं कब्जे के दस्तावेज के निष्पादन के माध्यम से बेच दिया गया।

6.4. अप्रैल 1992 में इसी तरह के समझौतों के जरिए कुछ अन्य प्लॉट बेचे गए, जैसे प्लॉट नंबर 46 सोहनराज को, प्लॉट नंबर 45 माणकचंद को, प्लॉट नंबर 44 देवीबाई को, प्लॉट नंबर 47 मीठालाल को, प्लॉट नंबर 52 सुरेश चंद्र को, प्लॉट नंबर 53 शरदचंद्र को, प्लॉट नंबर 60 सिरेमल को और प्लॉट नंबर 51 फतेहचंद को। याचिकाकर्ता नंबर 2 ने भी इनमें से कई प्लॉट संबंधित मालिकों से खरीदे, जिनमें प्लॉट नंबर 46, 45, 44, 52, 51, 50, 53 और 47 शामिल हैं, साथ ही जरूरी कानूनी दस्तावेज भी।

6.5. उपर्युक्त तरीके से, 35 प्लॉट बेचे गए, और बिक्री और हस्तांतरण के दस्तावेजों के उचित निष्पादन के बाद।

6.6. 2007 में, शिकायतकर्ता और उनकी पत्नी ने उसी जमीन पर एक और कॉलोनी बनाई, जिसका नाम मारुति नगर रखा। इस नई योजना में 43 प्लॉट थे, जिनमें प्लॉट का आकार अलग-अलग था, जिसमें 40 x 90 वर्ग फीट का आकार भी शामिल था।

6.7. 12.05.2007 को, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 107 सीआरपीसी के तहत एक रिपोर्ट दर्ज की, जो अदालत में आपराधिक विविध मामला संख्या 191/2007 के रूप में पंजीकृत हुई।

6.8. बाद में पक्षों ने 19.07.2007 को समझौता किया। समझौते में यह शर्त थी कि शिकायतकर्ता मारुति नगर में याचिकाकर्ताओं को बेचे गए प्लॉट नंबर 22 से 30 के लिए याचिकाकर्ताओं को 20,00,000/- रुपये का भुगतान करेगा।

6.9. शिकायतकर्ता ने 07.01.2008 को 5,00,000/- रुपये का भुगतान किया, लेकिन याचिकाकर्ताओं के अनुसार, शेष 15,00,000/- रुपये का भुगतान कभी नहीं किया गया।

6.10. शिकायतकर्ता ने 05.06.2008 को धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत एक शिकायत प्रस्तुत की, जिसके कारण पुलिस स्टेशन कोतवाली, पाली में धारा 420 आईपीसी के तहत एफआईआर संख्या 222/2008 दर्ज की गई।

6.11. हालांकि, जांच के बाद, मामले को सिविल प्रकृति का मानते हुए 31.12.2008 को एक नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता की विरोध याचिका 19.01.2010 को खारिज कर दी गई।

6.12. वर्ष 2008 के दौरान, शिकायतकर्ता पक्ष ने शेष बची 11 बीघा भूमि के संबंध में मारुति नगर नाम से एक और आवासीय योजना बनाई, जिसमें 84 भूखंड शामिल थे।

6.13. याचिकाकर्ताओं के पास शुरू में 11 बीघा जमीन में से 22 प्लॉट थे। बाद में याचिकाकर्ताओं ने पूरी जमीन खरीद ली और इस तरह वे इसके असली मालिक बन गए।

6.14. 25.11.2009 को विवाद हुआ और शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 447, 323 और 341 आईपीसी के तहत एफआईआर नंबर 262/2009 दर्ज कराई। आरोप पत्र दायर किया गया लेकिन सुनवाई के बाद 03.01.2013 को याचिकाकर्ताओं को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। इस बरी के खिलाफ शिकायतकर्ता की अपील 03.10.2016 को खारिज कर दी गई।

6.15. वर्ष 2010 में याचिकाकर्ता संख्या 2 ने भी धारा 420, 464, 467, 471 और 120 बी आईपीसी के तहत एफआईआर संख्या 17/2010 दर्ज कराई थी। अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता संख्या 2/प्रवीण द्वारा विरोध किए जाने पर ट्रायल कोर्ट ने संबंधित धाराओं के तहत 05.05.2018 को संज्ञान लिया।

6.16. वर्ष 2010 में शिकायतकर्ता पक्ष ने याचिकाकर्ताओं और अन्य के खिलाफ 30,00,000 रुपये की वसूली और बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए दिनांक 03.04.2008 को वाद दायर किया था।

6.17. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने वाद के लंबित रहने और उसके अंतिम निपटारे के दौरान पक्षों की सहमति से यथास्थिति आदेश पारित किया था। वाद अभी भी वादी के साक्ष्य दर्ज करने के चरण में लंबित है।

6.18. 27.11.2015 को, शिकायतकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2) ने याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 447 और 389 आईपीसी के तहत एक और एफआईआर संख्या 257/2015 दर्ज कराई।

6.19. 20.12.2015 को, याचिकाकर्ता संख्या 2 की पत्नी अंकिता ने धारा 448, 427, 379 और 354 आईपीसी के तहत एफआईआर संख्या 273/2015 दर्ज कराई। इस मामले में नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट को विरोध याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी, जो अभी भी लंबित है।

6.20. 25.01.2016 को, 2008 मारुति नगर योजना के तहत भूखंड खरीदने वाले कुछ व्यक्तियों ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 145 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसे 28.10.2016 को खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर, उन्होंने पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे 28.01.2021 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया।

6.21. 24.10.2017 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 257/2015 में जांच करने के बाद, जांच अधिकारी ने विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट संख्या 2/2017 प्रस्तुत की। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 2 ने जांच एजेंसी द्वारा दायर नकारात्मक रिपोर्ट का विरोध करते हुए एक विरोध याचिका दायर की है।

6.22. 17.01.2019 को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित एफआईआर में आगे की जांच करने के लिए पुलिस को नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट वापस कर दी। इसके अनुसरण में मामला अभी भी लंबित है और आगे कोई रिपोर्ट/चार्जशीट प्रस्तुत नहीं की गई है।

6.23. 06.06.2019 को प्रतिवादी नंबर 2 समूह ने धारा 427, 447 और 379 आईपीसी के तहत एक और एफआईआर नंबर 131/2019 दर्ज कराई। जांच के बाद धारा 447 आईपीसी के तहत चार्जशीट दाखिल की गई और मुकदमा चल रहा है।

6.24. 2022 में शिकायतकर्ता ने सीएम पोर्टल पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और 25.11.2022 को याचिकाकर्ता पक्ष को नोटिस भेजा गया।

6.25. 17.11.2022 को याचिकाकर्ता संख्या 2 ने पाली के पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें शिकायतकर्ता समूह पक्ष के साथ मिलीभगत करने वाले व्यक्तियों द्वारा गैरकानूनी गतिविधियों का आरोप लगाया गया।

6.26. 24.11.2022 को कुछ उपद्रवी लोग याचिकाकर्ताओं की जमीन पर आए और नुकसान पहुंचाया। एफआईआर संख्या 239/2022 धारा 143, 447 और 427 आईपीसी के तहत दर्ज की गई थी और जांच अभी भी लंबित है।

7. याचिकाकर्ताओं और शिकायतकर्ता के बीच मुकदमेबाजी का उपरोक्त इतिहास दर्शाता है कि शिकायतकर्ता ने लंबे समय से एक ही जमीन के टुकड़े के संबंध में कई एफआईआर दर्ज की हैं। ये एफआईआर वास्तविक आपराधिक गतिविधि के बजाय चल रहे नागरिक विवाद से उत्पन्न होती हैं। संबंधित मामलों में नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट और बरी होने के बावजूद बार-बार एफआईआर दर्ज करना शिकायतकर्ता द्वारा कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का सुझाव देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कानूनी तंत्र का दुरुपयोग करके दोनों पक्षों द्वारा परेशान करने या व्यक्तिगत स्कोर तय करने के इरादे से विभिन्न एफआईआर दर्ज की गई हैं।

8. जैसा कि घटनाक्रम से स्पष्ट है, 1990 के दशक से ही दोनों पक्ष विभिन्न कानूनी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं, जिनमें सिविल मुकदमे और क्रॉस एफआईआर शामिल हैं। यह विवाद 11 बीघा जमीन के स्वामित्व और विकास के इर्द-गिर्द घूमता है। यह देखते हुए कि इस विवाद से संबंधित कई मामले अभी भी सिविल कोर्ट में लंबित हैं, उन्हीं तथ्यों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि प्रेरित एफआईआर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह के प्रयासों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि चल रहे सिविल विवादों में पक्षों पर दबाव डालने के लिए आपराधिक शिकायतों/एफआईआर का उपयोग किया जाता है।

9. याचिकाकर्ताओं को पहले ही समान तथ्यों के आधार पर समान मामलों में बरी किया जा चुका है। एफआईआर संख्या 262/2009 में याचिकाकर्ताओं को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था और शिकायतकर्ता की अपील भी खारिज कर दी गई थी। इसके अलावा, दो एफआईआर यानी एफआईआर संख्या 222/2008 और एफआईआर संख्या 273/2015 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट के साथ बंद कर दिया गया था। इन परिणामों से संकेत मिलता है कि आरोप या तो निराधार हैं या पहले ही जांच की जा चुकी है, जिसके कारण उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। बिना किसी ठोस सामग्री के नई एफआईआर के माध्यम से मामले को बार-बार खोलना इस मामले में न्यायिक जांच के दायरे में नहीं आता है।

10. शिकायतकर्ता ने जमीन के संबंध में बार-बार अपना रुख बदला है। सबसे पहले, उन्होंने 1992 में एक आवास योजना विकसित की, उसके बाद 2007 में

दूसरी योजना और 2008 में एक और योजना बनाई, उपलब्ध क्षेत्र पर स्पष्टता के बिना उसी भूमि पर। इस तरह की असंगत कार्रवाइयां इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि शिकायतकर्ता आपराधिक शिकायतें दर्ज करने के लिए भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर करके स्थिति का फायदा उठा रहा है। इससे शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता और इन एफआईआर दर्ज करने के इरादे पर संदेह होता है।

11. यहां विचाराधीन एफआईआर के संबंध में, वही 2015 में दर्ज की गई थी, फिर भी जांच बिना किसी ठोस प्रगति के वर्षों तक चलती रही। पिछली जांचों में नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट (एफआर नंबर 02/2017) देने के बावजूद, आगे की जांच करने के लिए ट्रायल कोर्ट का 17.01.2019 का आदेश पूरी तरह से भ्रामक प्रतीत होता है। पुलिस ने पहले ही ऐसी जांच की है जो शिकायतकर्ता के आरोपों का समर्थन नहीं करती है, इसलिए बिना किसी नए साक्ष्य के मामले को फिर से खोलना अनावश्यक रूप से कानूनी प्रक्रिया को लम्बा खींच देगा और याचिकाकर्ताओं को अनुचित रूप से परेशान करेगा।

12. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत वैध और तर्कपूर्ण अंतिम रिपोर्ट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है।

13. दिनांक 24.10.2017 की अंतिम रिपोर्ट का प्रासंगिक अनुवादित संस्करण नीचे दिया गया है:

“आवेदक श्री भीमराज पुत्र श्री रामरख निवासी 8 बादशाह का झंडा, पाली ने दिनांक 27.11.15 को पाली थाने में टाइप की हुई रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि पाली चक संख्या 01 में उसकी पत्नी श्रीमती कौशल्यादेवी की कृषि भूमि खसरा संख्या 786/3 बीघा उसकी देखरेख में है। आरोपी श्री धन्नाराम पुत्र श्री पूनाजी व श्री प्रवीण चौधरी उम्र 34 निवासी 01-एस-40, पुराना हाउसिंग बोर्ड, पाली ने बार-बार उस पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। आवेदक ने पूर्व में इस संबंध में धारा 323 व 341 आईपीसी के तहत एफआईआर (क्रमांक 262 दिनांक 25.11.2009) दर्ज कराई थी, जो इसी थाने में दर्ज हुई थी। जांच के दौरान जांच अधिकारी ने मौके पर जाकर मामले की जांच की तथा एक रिपोर्ट तैयार की। आरोपी श्री प्रवीण चौधरी के खिलाफ तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 पाली की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसके आधार पर अदालत ने आपराधिक मामला संख्या 135/2010 सरकार बनाम प्रवीण चौधरी दर्ज किया,

जिसमें अंततः आरोपी को बरी कर दिया गया। आवेदक ने बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ माननीय सत्र न्यायाधीश पाली के समक्ष अपील की, जो वर्तमान में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पाली की अदालत में लंबित है।

इससे पूर्व आवेदक ने पाली के कोतवाली थाने में आरोपी प्रवीण व अन्य के विरुद्ध धारा 420, 409, 384, 385 व 120 बी आईपीसी के तहत एक अन्य एफआईआर (संख्या 222 दिनांक 05.06.2008) दर्ज कराई थी। जांच अधिकारी ने उक्त कृषि भूमि का भी निरीक्षण किया और संबंधित रिपोर्ट तैयार की। उस मामले में आरोपी प्रवीण चौधरी ने अपने हस्ताक्षरित बयानों में आवेदक के कृषि भूमि पर कब्जे की बात स्वीकार की थी। इसके अतिरिक्त मारुति नगर आवासीय योजना के तहत चिह्नित 84 भूखंडों की सीमा दर्शाने वाले दस्तावेज संलग्न किए गए, जिसमें भूखंड क्रमांक 1 से 84 दर्शाए गए हैं, जिसमें दक्षिणी गेट के पास केयरटेकर के लिए एक स्थायी पत्थर की संरचना और उसके बगल में एक छाया कक्ष भी है।

मारुति नगर आवासीय योजना के प्लॉट नंबर 84 को आरोपी श्री प्रवीण चौधरी और उनके माता-पिता ने श्रीमती कौशल्या देवी की कृषि भूमि से श्रीमती प्रेमलता बंसाली को बेचा था। आवेदक और श्रीमती कौशल्या देवी ने उस बिक्री को रद्द करने के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया है। अदालत ने आरोपी प्रवीण, उसके पिता धन्नाराम, मां गंगा देवी और श्रीमती प्रेमलता बंसाली के खिलाफ साइट के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है। आवेदक और उसके परिवार के दक्षिणी हैदराबाद में व्यवसाय करने के कारण, आरोपी प्रवीण चौधरी और धन्नाराम ने आवेदक की अनुपस्थिति के दौरान साइट पर आवेदक द्वारा लगाए गए सीमा चिह्नों को हटा दिया और पेड़ों को काट दिया। इसकी सूचना दी गई, और उप-निरीक्षक श्री मांगीलाल द्वारा जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान उपनिरीक्षक श्री मांगीलाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, घटना रिपोर्ट तैयार की तथा आवेदक श्री भीमराज और गवाहों श्री प्रवीण जैन, श्री अरविंद जैन, श्री बसंत कुमार, श्री

अशोक कुमार लोढ़ा, श्री संजय डागा और श्री प्रवीण चौधरी के बयान दर्ज किए। आवेदक ने घटनास्थल के फोटोग्राफ उपलब्ध कराए, जिन्हें दस्तावेज में शामिल किया गया। उपनिरीक्षक श्री मांगीलाल के स्थानांतरण के बाद मामले की फाइल आगे की जांच के लिए पाली थाने के उपनिरीक्षक श्री मोहनलाल गर्ग को भेजी गई। श्री मोहनलाल गर्ग ने श्री भीमराज की ओर से श्री संजय डागा और श्री संपतराज टिटंबा के बयान दर्ज किए।

आवेदक ने सिविल केस संख्या 203/2011 की प्रतियां तथा केस फाइल में शामिल दस्तावेजों की प्रतियां समीक्षा के लिए प्रस्तुत की। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली के आदेशानुसार दिनांक 14.06.16 को जांच सत्यापन का आदेश दिया गया। तत्कालीन वृत्ताधिकारी अजय भार्गव ने जांच का सत्यापन किया तथा आवेदक श्री भीमराज व गवाहों के बयान दर्ज किए। अजय भार्गव द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक पाली ने परिणाम को 'झूठे' (आदम वाक्) की अंतिम रिपोर्ट (एफआर) बनाने का आदेश दिया।

तत्पश्चात, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली श्री जय पाल सिंह यादव ने मामले को झूठा मानते हुए जांच एवं सत्यापन किया तथा परिणाम आदेश हेतु फाइल पुलिस अधीक्षक पाली के कार्यालय को भेजी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधीक्षक पाली ने आदेश संख्या 4812 दिनांक 14.03.17 जारी कर झूठा (आदम वाक्) अंतिम रिपोर्ट (एफआर) जारी करने का प्रावधान किया।

इसके बाद आवेदक श्री भीमराज ने पाली के पुलिस अधीक्षक को शिकायत प्रस्तुत की, जिन्होंने वर्तमान मामले और संबंधित मामले दोनों की समीक्षा करने का आदेश दिया। पाली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ज्योतिस्वरूप शर्मा ने घटनास्थल पर विवादित भूमि का निरीक्षण किया, दोनों पक्षों की बात सुनी और जांच फाइल का अध्ययन किया। फाइल में उपलब्ध साक्ष्य और दस्तावेजों की समीक्षा करने पर निम्नलिखित बिंदु नोट किए गए:

1. आवेदक की पत्नी श्रीमती कौशल्यादेवी ने विवादित खसरा संख्या 786, क्षेत्रफल 11 बीघा, श्री लक्ष्मीनारायण, पुत्र श्री गोरधनदास

माहेश्वरी एवं श्री छोगालाल, पुत्र श्री पृथ्वीराज ओसवाल से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.09.1977 के माध्यम से क्रय की थी, जो राजस्व अभिलेखों में श्रीमती कौशल्यादेवी के नाम दिनांक 03.09.1978 को दर्ज हुई। तब से उक्त खसरा संख्या की सम्पूर्ण भूमि राजस्व अभिलेखों में उनके नाम से दर्ज है।

2. 1992 में, आवेदक श्री भीमराज ने खसरा संख्या 786 की संपूर्ण भूमि पर मधुर कॉलोनी नाम से 54 भूखंडों के लिए एक आवासीय योजना विकसित की।

3. मधुर कॉलोनी में विकसित 54 भूखंडों में से, भूखंड संख्या 54, जिसका आकार 40x60 है, को 14.04.1992 को 400 रुपये में श्री गंगादेवी, पत्नी श्री धनराज माली को बेचा गया था। अन्य भूखंड भी विभिन्न खरीदारों को बेचे गए थे।

4. 2006 में, आवेदक ने श्रीमती गंगा देवी और उनके पति धन्नाराम से 1,10,000 रुपये में भूखंड संख्या 54 को पुनः प्राप्त किया। मूल बिक्री विलेख और भुगतान की रसीद आवेदक के पास है, जो भूखंड के उसके स्वामित्व की पुष्टि करती है, जिस पर आरोपियों द्वारा उनके कब्जे के दौरान एक कुआं खोदा गया था।

5. आवेदक ने 2006 में अपनी 11 बीघा जमीन का कब्जा आरोपी धन्नाराम और उसके बेटे प्रवीण को खेती के लिए दे दिया, जिन्होंने उस दौरान जमीन पर खेती की।

6. 2007 में आवेदक ने 35 प्लॉट मालिकों को 1,10,000 रुपये प्रतिपूर्ति करके पिछली बिक्री को रद्द कर दिया, हालांकि सोहनराज सहित 8 प्लॉट मालिकों ने ट्रस्ट के मुद्दों के कारण अपने मूल बिक्री विलेख वापस नहीं किए।

7. 2007 में एक विवाद उत्पन्न हुआ जब आवेदक ने आरोपियों द्वारा कब्जा की गई जमीन को वापस करने की मांग की, जिसके कारण पुलिस मामला दर्ज किया गया।

8. आवेदक ने 43 भूखंडों की दूसरी योजना से प्लॉट संख्या 22 से 30 को 20 लाख रुपये में आरोपियों को बेच दिया, इस शर्त के साथ कि वह भुगतान किए जाने पर इन भूखंडों को फिर से हासिल कर लेगा।

9. 2008 में, आवेदक ने 84 भूखंडों के लिए एक तीसरी आवासीय योजना बनाई, जिसमें 09.04.2008 को श्रीमती प्रेमलता को भूखंड संख्या 84 बेचा गया, जिसे बाद में आरोपी ने खरीद लिया।

10. आवेदक ने तीसरी योजना से 23 भूखंड बेचे और शेष 61 भूखंडों को बेचना अभी बाकी है।

11. आरोपी ने एक समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित किया जिसमें दावा किया गया कि कृषि भूमि पर 23 वर्षों से उसका लगातार कब्जा है।

12. आवेदक ने 2009 में आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामलों में मामला दर्ज कराया था, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को बरी कर दिया गया।

13. आरोपी ने आवेदक के खिलाफ 2010 में एक जवाबी मामला दायर किया, जिसे भी झूठा बताकर खारिज कर दिया गया।

14. आवेदक ने विवादित भूमि के संबंध में कब्जे की वसूली और निषेधाज्ञा की मांग करते हुए सत्र न्यायालय में एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जो अभी भी लंबित है।

15. वर्षों से आवेदक ने भूमि के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण और रखरखाव किया है और गेट लगाए हैं।

16. आरोपी ने अपने कब्जे के दौरान आवेदक की योजनाओं से ओवरलैप होने वाले विभिन्न भूखंडों के स्वामित्व का दावा किया है।

17. आवेदक और आरोपी के बीच लेन-देन और दावों का विवरण स्वामित्व, कब्जे और भूखंडों से संबंधित पूर्व समझौतों पर चल रहे विवादों को दर्शाता है।

18. आरोपी ने अपने दावों को सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया था और विवादित भूमि पर अपने कब्जे और अधिकारों के बारे में आधिकारिक नोटिस दिए थे।

स्थिति में जटिल स्वामित्व दावे, कई मुकदमे और संबंधित कृषि भूमि के संबंध में चल रही जांच शामिल है।

14. उपरोक्त रिपोर्ट के अलावा, वर्ष 2007 में दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हुआ था, जिसमें शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं को कुछ भूखंडों के लिए

20,00,000 रुपये का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी। यह पता चला है कि शिकायतकर्ता ने आंशिक भुगतान भी किया था, लेकिन कथित तौर पर लेनदेन पूरा करने में विफल रहा। यह समझौता, हालांकि पूरी तरह से निष्पादित नहीं हुआ, यह दर्शाता है कि विवाद अनिवार्य रूप से वित्तीय और नागरिक प्रकृति का है। इसके बाद कई एफआईआर दर्ज करना शिकायतकर्ता द्वारा अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जबरदस्ती का उपकरण प्रतीत होता है।

15. इसके अलावा, मेरा मानना है कि उपरोक्त घटनाक्रम शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार, निराधार एफआईआर/शिकायतों के माध्यम से उत्पीड़न का एक स्पष्ट पैटर्न स्थापित करता है। यहां विचाराधीन एफआईआर में योग्यता का अभाव है, यह आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और कार्यवाही जारी रखने से याचिकाकर्ताओं को और अधिक कानूनी उत्पीड़न के अधीन करने के अलावा कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

16. इस आधार पर याचिका स्वीकार की जाती है। पुलिस स्टेशन- औद्योगिक क्षेत्र, पाली में आईपीसी की धारा 447 और 379 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 257/2015, दिनांक 27.11.2015, और याचिकाकर्ताओं के संबंध में उससे उत्पन्न सभी कार्यवाही, आगामी परिणामों के साथ रद्द की जाती है।

17. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।